

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचला सम्पत्ति का विवरण, दर्ज २०

1. अभिकर्ता कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है बाबू रवि लाल 2. वर्तमान पत्नी का नाम प्रबत
 3. वर्तमान पता 5200 4. अभिलेख नंबर/दि. का नाम ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्थल के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट का अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nic	Nic	Nic	Nic	Nic	Nic	

• जहां लागू न हो काट दीजिए।
 • ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही विवरण उपलब्ध नहीं है, वहाँ वर्तमान स्थिति का या दर्ज में वर्तमान मूल्य का उल्लेख करें।
 • इतने जल्द-जल्दी पदों से सम्बन्धित है।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1957 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के अन्तर्गत अपने नाम पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उनके परिवार में किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक के द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति का व्योरे दें।

हस्ताक्षर बाबू रवि लाल
 नाम श्री बाबू रवि लाल
 पद प्रबत